न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :–प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.

1. प्रकरण संख्या 73 / 2022 (उदयपुर डिक्री)

श्रीमती कैलाश कुंवर पत्नी स्वर्गीय खुमाणसिंह जी राजपूत, निवासी तरपाल, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर(राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. चतरसिंह पिता वेनसिंहजी राजपूत, निवासी तरपाल, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर(राज.)
2. रोड़सिंह पिता वेनसिंहजी राजपूत, निवासी तरपाल, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर(राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गोगुन्दा, जिला उदयपुर(राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

2. प्रकरण संख्या 74 / 2022 (उदयपुर डिक्री)

श्रीमती कैलाश कुंवर पत्नी स्वर्गीय खुमाणसिंह जी राजपूत, निवासी तरपाल, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर(राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. चतरसिंह पिता वेनसिंहजी राजपूत, निवासी तरपाल, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर(राज.)
2. रोड़सिंह पिता वेनसिंहजी राजपूत, निवासी तरपाल, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर(राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गोगुन्दा, जिला उदयपुर(राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राज.का..अधि.
1955 विरूद्धनिर्णय उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा [illegible] अंतिम
डिक्रीदि. 26.05.22 [illegible] स.5[illegible]/2020
————

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2023.09.13 12:35:17 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित (वक्त बहस) :— 1. श्री नरेन्द्र चौधरी अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्रीमतीरेखा तलेसरा अभिभाषक रे.सं.1, 2
3. श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णयदिनांक 31—08—2023

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम तरपाल में खाता संख्या नई/पुरानी 661/626 की हाल आराजी कुल किता 4 रकबा 0.0550 हैक्टर भूमि स्थित है, जो वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी की होकर मौके पर काबिज काश्त हैं, किन्तु मौके पर विधिक बंटवारा नहीं होने से आराजियात का विकास नहीं कर पा रहे हैं तथा कृषि से अकृषि रूपान्तरण नहीं करवा पा रहे हैं। अतः विवादित आराजियात का पक्षकारान के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर खाते अलग—अलग दर्ज किये जावें तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर अपने निर्णय दिनांक 02—12—2021 से वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की। तत्पश्चात प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 26—05—2022 को अंतिम डिक्री जारी की।

उक्त प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 02—12—2021 से रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा अपील संख्या 73/2022 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 26—05—2022 के विरूद्ध अपील संख्या 74/2022 इस न्यायालय में दिनांक 17—10—2021 को प्रस्तुत की गयी है।

अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्रीमतीरेखा तलेसरा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

उक्त दोनों ही अपीलों में विवादित आराजियात एवं पक्षकारान समान होने तथा अधिनस्थ न्यायालय के एक ही प्रकरण [illegible]/2020में पारित प्रारम्भिक डिक्री एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2023.09.13 12:35:17 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री के विरूद्ध होने से दोनों ही अपीलों का एक ही निर्णय किया जा रहा हैं। निर्णय की एक–एक प्रति संबंधित पत्रावली में संलग्न की जावे।

वकील अपीलान्ट ने दोनों ही अपीलों के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किये तथा निवेदन किया कि दिनांक 07–10–2022 को जब रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 अपीलान्ट की कब्जे शुदा भूमि पर कब्जा करने आये तब उसे अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानकारी होते ही अपीलान्ट द्वारा नकलें प्राप्त कर दोनों अपीलें अविलम्ब प्रस्तुत कर दी गयी हैं। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः अपीलें अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये।

हमने उक्त प्रार्थना पत्रों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अखण्डित शपथ पत्र एवं प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर दोनों अपीलें श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

प्रकरण के गुणावगुण पर बहस करते हुए विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण प्रशासन गांव के संग में रखे जाने की सूचना अपीलान्ट/प्रतिवादी को कभी नहीं दी, न ही अपीलान्ट के अधिवक्ता को सूचित किया। अपीलान्ट की अनुपस्थिति में अपीलान्ट का जवाबदावा बन्द कर दिया गया, जो विधि विरूद्ध है। विवादित भूमि का पूर्व में दिनांक 04–05–1983 को पारिवारिक बंटवारा होकर लिखा–पढ़ी हो चुकी है। बंटवारा रिपोर्ट अपीलान्ट की अनुपस्थिति में तैयार की गयी है। अधिनस्थ न्यायालय ने अंतिम डिक्री जारी करते समय यह नहीं देखा की बंटवारा रिपोर्ट किसने तैयार की है तथा अपीलान्ट की सहमति थी अथवा नहीं। ऐसी स्थिति मेंअधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री तथा अंतिम डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 02–12–2021 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 26–05–2022 निरस्त किये जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RRT2018-19 (Supp.) Page 410, RBJ (26) 2019 Page 751, RRT 2019 (2) Page 1050, RRT 2021(1) Page 469, RRT 2022 (1) Page 61, RRT 2022 (1) Page 338 प्रस्तुत की।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री तथा अंतिम डिक्रीको विधि सम्मत होना बताते हुए दोनों अपीलें खारिज करने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2023.09.13 12:35:17 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावलीपरउपलब्धरेकार्डकाध्यानपूर्वकअवलोकनकिया। राजस्व रेकार्ड मेंविवादित आराजियात में अपीलान्ट का 1/3 हिस्सा, रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का 1/3 हिस्सा एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 का 1/3 हिस्सा दर्ज हैं एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इसी अनुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी है, जिसमें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि की जाना प्रकट नहीं होता है, तद्नुसार प्रारम्भिक डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

जहां तक अंतिम डिक्री का प्रश्न है, विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व पक्षकारान को विधिवत सूचना पत्र जारी किये जाकर दिनांक 14–03–2022 को विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार किया गया है, जिसमें मौके पर अपीलान्ट/प्रतिवादी कैलाश कुंवर स्वयं उपस्थित थी, किन्तु उसने हस्ताक्षर करने से इंकार किया। इसके अलावा हम यह भी पाते हैं कि अंतिम डिक्री में सभी पक्षकारान को लगभग समान भूमि दी गयी है। यदि अपीलान्ट/प्रतिवादी को उक्त विभाजन से कोई आपत्ति थी तो उन्हें अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए थी। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अंतिम डिक्री विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। इस सम्बन्ध में जो न्यायिक नजीरें वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं, उनके तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने से लागू नहीं होते हैं।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीलें सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थन्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 02–12–2021 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 26–05–2022 यथावत रखी जाती हैं। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों में संलग्न की जावे। निर्णय आज दिनांक 31–08–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2023.09.13 12:35:17 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.........मुकाम...............उदयपुर.............
व इजलास ....प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस. ....

श्रीमती कैलाश कुंवर पत्नी स्व. खुमाणसिंहबनामचतरसिंह पिता वेनसिंह जी राजपूत, राजपूत, निवासी तरपाल तहसीलगोगुन्दा, निवासी तरपाल तहसील गोगुन्दा,जिला उदयपुर जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं.....73/2022........व नाराजगी डिगरी अदालत ....उपखण्ड अधिकारी ....गोगुन्दा.........मुकाम................मुवर्खे........02...........माह...............12...............2021........................

दावा बाबत

यह अपील व तारीख..........31..........माह.............08.......सन् 2023 रूबरू............पक्षकारान
व हाजरी........श्री नरेन्द्र चौधरी........मिनजानिब अपीलान्ट व............श्रीमतीरेखा तलेसरा

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 02–12–2021 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग..........X............)..........रूपये ....X.........
.
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..........................X ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख............31.............माह............08..............2023 को जारी किया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील..........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2023.09.13 12:35:17 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.........मुकाम...............उदयपुर.............
व इजलास ....प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस. ....

श्रीमती कैलाश कुंवर पत्नी स्व. खुमाणसिंह राजपूत, निवासी तरपाल तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर बनाम चतरसिंह पिता वेनसिंह जी राजपूत, निवासी तरपाल तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं......74/2022........व नाराजगी डिगरी अदालत ....उपखण्ड अधिकारी ....गोगुन्दा..........मुकाम................मुवर्खे.........26............माह...............05...............2022.........................

दावा बाबत

यह अपील व तारीख..........31..........माह.............08.......सन् 2023 रूबरू............पक्षकारान व हाजरी.............श्री नरेन्द्र चौधरी.............मिनजानिब अपीलान्ट व............श्रीमती रेखा तलेसरा

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिमडिक्री दिनांक 26–05–2022 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग..........X............)..........रूपये ....X.........
.
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..........................X ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख............31.............माह............08..............2023 को जारी किया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील..........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2023.09.13 12:35:17 IST
Reason: SelfAttested